

आदेश

इस विभाग के आदेश क्रमांक एफ. 16(1)सूअ/नविवि/2015 दिनांक 23.06.2015 के द्वारा प्रशासनिक सुधार विभाग (सूचना का अधिकार प्रकोष्ठ के आदेश क्रमांक प.20(22)प्रसू/सूअप्र/2008 दिनांक 05.05.2011 की अनुपालना में नगरीय विकास विभाग राजस्थान, जयपुर में पदस्थापित संयुक्त शासन सचिव/उप शासन सचिव/वरिष्ठ उप शासन सचिव एवं नगर नियोजक को राज्य लोक सूचना अधिकारी नियुक्त किया गया था। उक्त आदेश दिनांक 23.06.2015 के अतिक्रमण में वर्तमान स्थिति में नगरीय विकास विभाग में पदस्थापित संयुक्त शासन सचिव/वरिष्ठ उप शासन सचिव एवं अतिरिक्त मुख्य नगर नियोजक को निम्न प्रकार से राज्य लोक सूचना अधिकारी के पद पर नगरीय विकास एवं आवासन विभाग में एतद् द्वारा नियुक्त किया जाता है:-

क्र. सं०	कार्यक्षेत्र	राज्य लोक सूचना अधिकारी	प्रथम अपोल अधिकारी
1.	<ul style="list-style-type: none"> <li>अभियांत्रिकी अधिकारियों से संबंधित संस्थापन का समस्त कार्य।</li> <li>अजमेर विकास प्राधिकरण, अजमेर से संबंधित समस्त प्रकार के कार्य।</li> <li>अतिरिक्त मुख्य नगर नियोजक/वरिष्ठ नगर नियोजक को सौंपे कार्य का पर्यवेक्षण।</li> <li>नगर विकास न्यास, पाली, आबू, सवाईमाधोपुर, कोटा, वित्तौडगढ से संबंधित समस्त प्रकार के कार्य।</li> <li>जयपुर मेट्रो रेल परियोजना से संबंधित समस्त कार्य।</li> <li>बी.आर.टी.एस. व जे.सी.टी.एस.एल से संबंधित कार्य।</li> <li>नीति, नियम अधिनियम एवं अधिसूचना से संबंधित कार्य।</li> <li>सी.एम.एल.सी एवं प्री-सी.एम.एल.सी. संबंधित कार्य।</li> <li>रिसर्जेन्ट राजस्थान-2 के प्राभावी के रूप में कार्य।</li> <li>विभागीय समन्वय का कार्य।</li> <li>वादकरण (Litigation) संबंधित कार्य का समन्वय, पर्यवेक्षण व नियंत्रण।</li> <li>बजट घोषणाएं एवं मा० मुख्यमंत्री द्वारा सरकार आपके द्वारा कार्यक्रम के तहत की गई घोषणाओं से संबंधित कार्य व उनका क्रियान्वयन एवं मॉनिटरिंग।</li> <li>नीति आयोग।</li> </ul>	संयुक्त शासन सचिव-प्रथम एवं पदेन राज्यलोक सूचना अधिकारी, नगरीय विकास विभाग, जयपुर।	प्रमुख शासन सचिव, नगरीय विकास विभाग। कमरा नं० 1212, मुख्य भवन, शासन सचिवालय, जयपुर।
2.	<ul style="list-style-type: none"> <li>नगरीय विकास विभाग एवं नगर नियोजन विभाग से संबंधित संस्थापन कार्य।</li> <li>नगर विकास न्यास भीलवाडा, उदयपुर, लीकानेर श्रीगंगानगर, सीकर, बाडमेर से संबंधित समस्त प्रकार के कार्य।</li> <li>राजस्थान आवासन मण्डल से संबंधित समस्त कार्य।</li> <li>स्थानीय निकाय विभाग से आने वाली पत्रावलि/शिकायतें/ मार्गदर्शन से संबंधित समस्त प्रकार के कार्य।</li> <li>राष्ट्रीय झील प्राधिकरण से संबंधित कार्य तथा राज्य स्तरीय बैटलेण्ड समिति संबंधी कार्य।</li> <li>राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर</li> </ul>	संयुक्त शासन सचिव-द्वितीय एवं पदेन राज्यलोक सूचना अधिकारी, नगरीय विकास विभाग, जयपुर।	प्रमुख शासन सचिव, नगरीय विकास विभाग। कमरा नं० 1212, मुख्य भवन, शासन सचिवालय, जयपुर।

	<p>आयोजित अभियानों से संबंधित समस्त कार्य।</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• त्रिष्ठ उप शासन सचिव को सौंपे गये कार्यों का पर्यवेक्षण व समन्वय।</li> <li>• वादकरण (Litigation) से संबंधित कार्यों का समन्वय, पर्यवेक्षण व नियंत्रण।</li> </ul>	
<p>3.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर एवं जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर से संबंधित समस्त प्रकार के कार्य।</li> <li>• आमेर विकास प्राधिकरण से संबंधित कार्य।</li> <li>• नगर विकास न्यास, अलवर, भरतपुर, जैसलमेर से संबंधित समस्त प्रकार के कार्य।</li> <li>• मास्टर प्लान संबंधी कार्य।</li> <li>• कम्प्यूटराईजेशन से संबंधित समस्त कार्य।</li> <li>• सीएमआइएफ व राजस्थान सम्पर्क की मॉनिटरिंग का कार्य।</li> <li>• राज-काज व विभागीय वेबसाईट से संबंधित कार्य।</li> <li>• न्याय विभाग की वेबसाईट (LITES) से संबंधित कार्य।</li> <li>• मुख्य मंत्री कार्यालय से आने वाली शिकायतों व जन शिकायत निवारण प्रकोष्ठ से संबंधित कार्य एवं विशिष्ट गणमान्य व्यक्तियों (VVIP) द्वारा प्रेषित पत्रों पर की गई कार्यवाही की मॉनिटरिंग।</li> <li>• प्रभारी विधान सभा प्रकोष्ठ, विधान सभा व संसद के प्रश्न एवं आश्वासन, ध्यानाकर्षण प्रस्ताव एवं विशेष उल्लेख प्रस्ताव आदि विधान सभा संबंधी समस्त कार्य। संबंधित संयुक्त शासन सचिव विधान सभा प्रश्न/आश्वासन आदि का उत्तर तैयार कर प्रकोष्ठ में प्रस्तुत करेंगे।</li> <li>• विभाग के लेखा व ऑडिट संबंधित समस्त कार्य।</li> <li>• राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनेसीआर) के संस्थापक कार्य व योजनाओं से संबंधित मामले।</li> <li>• विधान सभा की समितियों पर कार्यवाही (यथा लोक सेवा समिति, लोक/प्राक्कलन समिति, पी.ए.सी, राजकीय उपक्रम व अन्य समितियों संबंधित समस्त कार्य)</li> <li>• लेखा शाखा, अंकेक्षण, बजट, भण्डारण, उपकरण, फर्नीचर का क्रम आदि समस्त कार्य।</li> <li>• वार्षिक योजना से संबंधित कार्य।</li> <li>• कच्ची बस्तियों के प्रकरण।</li> <li>• डी.एम.आई.सी से संबंधित समस्त कार्य।</li> <li>• वादकरण (Litigation) से संबंधित कार्यों का समन्वय, पर्यवेक्षण व नियंत्रण।</li> </ul>	<p>संयुक्त शासन सचिव-तृतीय एवं पदेन राज्यलोक सुचना अधिकारी, नगरीय विकास विभाग, जयपुर।</p>	<p>प्रमुख शासन सचिव, नगरीय विकास विभाग। कमरा नं० 1212, मुख्य भवन, शासन सचिवालय, जयपुर।</p>
<p>4.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• स्मार्ट सिटीज से संबंधित समस्त कार्य।</li> <li>• मास्टर प्लान संबंधित कार्य।</li> <li>• Ease of Doing Bussiness संबंधी कार्य।</li> </ul>	<p>अतिरिक्त मुख्य नगर नियोजक एवं संयुक्त शासन सचिव-प्रथम एवं पदेन राज्यलोक सुचना अधिकारी, नगरीय विकास विभाग,</p>	<p>प्रमुख शासन सचिव, नगरीय विकास विभाग। कमरा नं० 1212, मुख्य भवन, शासन सचिवालय, जयपुर।</p>

<ul style="list-style-type: none"> <li>• सीएमएसी व इसके कार्यदल से संबंधित बैठकों का आयोजन व कार्य।</li> <li>• ब्यूरो फॉर पार्टनरशिप इन राजस्थान समिति से संबंधित कार्य।</li> <li>• रिसर्जेंट राजस्थान-2 के अतिरिक्त प्रभारी के रूप में कार्य।</li> <li>• मुख्यमंत्री जन आवास योजना की मॉनिटरिंग व संशोधन संबंधी कार्य।</li> <li>• स्पेशल प्रोजेक्ट्स, विभिन्न प्रजेन्टेशन, जुमटा (ZUMTA) आदि से संबंधित कार्य।</li> <li>• विभागीय पत्रावलियों में नगर नियोजन/मास्टर प्लान/भू-उपयोग परिवर्तन/मंजूर विनियम/पुनर्गठन/उप-विभाजन आदि नियमों के तहत राय प्रदान करने संबंधी कार्य।</li> <li>• विदेश यात्राएँ, विदेशी प्रतिनिधियों से संबंधित बैठकें, एन.ओ.यू. से संबंधित कार्य।</li> </ul>	<p>जयपुर।</p>	
<p>5.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• मीटिंग, कॉन्फ्रेंस, मेले, समितियाँ, प्रदर्शन, सूचना एवं प्रचार संबंधी समस्त कार्य।</li> <li>• वार्षिक रिपोर्ट तैयार करना, सांख्यिकी एवं सामयिकी वितरण।</li> <li>• सूचना का अधिकार, लोक सेवा गारन्टी अधिनियम, लोकायुक्त व मानव अधिकार के प्रकरणों में विभागीय पैरवी।</li> <li>• सीएमआईएस, राजस्थान सम्पर्क व बजट घोषणाओं से संबंधित कार्यो से समन्वयक के रूप में कार्य करना।</li> <li>• बीस सूत्री कार्यक्रम से संबंधित कार्य एवं मॉनिटरिंग।</li> <li>• सीमांकन से संबंधित डॉ. परमेश चन्द्र की अध्यक्षता में गठित हाई पॉटर कमेटी से संबंधित कार्य।</li> </ul>	<p>वरिष्ठ शासन उपसचिव एवं प्रदेश राज्यलोक सूचना अधिकारी, नगरीय विकास विभाग, जयपुर।</p>	<p>प्रमुख शासन सचिव, नगरीय विकास विभाग। कमरा नं० 1212, मुख्य भवन, शासन सचिवालय, जयपुर।</p>

आज्ञा से



(मगन लाल योगी)

संयुक्त शासन सचिव-द्वितीय

प्रतिज्ञिपि निम्नांकित को सूचनार्थ प्रेषित है :-

1. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री महोदय, नगरीय विकास विभाग, राजस्थान, जयपुर।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, नगरीय विकास विभाग।
3. सचिव, राजस्थान सूचना आयोग, जयपुर।
4. उप शासन सचिव, प्रशासनिक सुधार विभाग (सूचना का अधिकार प्रकोष्ठ जयपुर)
5. संयुक्त शासन सचिव-प्रथम/द्वितीय/तृतीय नगरीय विकास विभाग, राजस्थान, जयपुर।
6. वरिष्ठ शासन उप सचिव, नगरीय विकास विभाग, राजस्थान, जयपुर।
7. अतिरिक्त मुख्य नगर नियोजक, नगरीय विकास विभाग, राजस्थान, जयपुर।
8. वरिष्ठ उप विधि परामर्शी नगरीय विकास विभाग, राजस्थान, जयपुर।
9. उपविधि परामर्शी, नगरीय विकास विभाग, राजस्थान, जयपुर।
10. सहायक शासन सचिव-प्रथम/द्वितीय, नगरीय विकास विभाग, राजस्थान, जयपुर।
11. सहायक लेखाधिकारी, नगरीय विकास विभाग, राजस्थान, जयपुर।
12. सांख्यिकी अधिकारी, नगरीय विकास विभाग, राजस्थान, जयपुर।
13. अनुभागाधिकारी-प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय, नगरीय विकास विभाग, राजस्थान, जयपुर।
14. विशेषाधिकारी, सूचना का अधिकार प्रकोष्ठ, नगरीय विकास विभाग, राजस्थान, जयपुर।

संयुक्त शासन सचिव-द्वितीय